आज से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

- पेट्रोल पंप संचालकों को बैठक में दिए निर्देश

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आज से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा. कल कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश को लेकर आज पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना हेलमेट पेट्रोल दिया, तो पंप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

कलेक्टर आशीष सिंह ने कल जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन कराने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक ली. बैठक में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को हिदायत दी गई कि एक अगस्त से बगैर हेलमेट पहने किसी भी दो पहिया वाहन चालकों को किसी भी हालत में पेट्रोल नहीं दें. बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिए के जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी. पेट्रोल पंप पर विवाद करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध भी कार्रवाई होगी. पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप पर निगरानी रखी जाएगी. बैठक में डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी, एडीएम रोशन राय, जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल मारू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, नायरा व रिलायंस सहित सभी कंपनियों के सेल्स अधिकारी ,सहायक आपूर्ति अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे.

उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई

ध्यान रहे कि कलेक्टर सिंह ने कल सुबह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे. उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. कलेक्टर के आदेश में इंदौर जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट नहीं पहना जाता है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध भी वैधानिक कारवाई की जाएगी. आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा. उक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा.

आरटीओ कार्यालय में अभियान शुरू, बनाए चालान

इंदौर . शहर के आरटीओ कार्यालय में आज से नो हेलमेट नो इंट्री अभियान की शुरुआत हो गई। अभियान का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों पर कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है. कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के पालन में आज से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर में नो हेलमेट-नो इंट्री अभियान शुरू किया गया है. इसी कड़ी में आज आरटीओ कार्यालय आने वाले समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं आवेदकों की चेकिंग आरटीओ राजेश गुप्ता एवं स्टॉफ द्वारा की गई. चेकिंग में 10 वाहन चालक को बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर चालान बनाए गए और तीन हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। उक्त कारवाई केन्द्रीय मोटरयान 1988 की धारा 194 (घ) के अन्तर्गत की गई. साथ ही वजन चालकों को चेतावनी दी गई कि अगली बार बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

मामला हाईकोर्ट में पहुंचा
कलेक्टर के आदेश पर उठे सवाल

- शहर के भीतरी हिस्सों में नियम लागू करने पर आपत्ति
- सोमवार को कोर्ट में होनी हैं सुनवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में दोपहिया चालकों के लिए बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के प्रशासनिक आदेश को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है. शहर के नागरिकों की तरफ से इस फैसले को असंवैधानिक और अव्यावहारिक बताया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि जहां ट्रैफिक की रफ्तार सामान्यत: धीमी होती है, वहां हेलमेट की अनिवार्यता का कोई औचित्य नहीं बनता. इस आदेश को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.

यह जनहित याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि शहर के अंदरूनी हिस्सों जैसे परदेशीपुरा, राजवाड़ा, पलासिया, जेल रोड, आदि क्षेत्रों में वाहन चालकों की रफ्तार पहले से ही कम रहती है. ऐसे में वहां हेलमेट पहनना अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक आदेश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे पेट्रोल पंप संचालकों को भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ रहा है. उन्हें कानून का पालन कराने की भूमिका दी जा रही है, जो उनकी व्यावसायिक सीमा से बाहर है. याचिका में दलील दी गई है कि यदि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से नियम बनाना ही है तो उसे शहर के बाहरी हिस्सों और हाईवे पर लागू किया जाना चाहिए, जहां तेज रफ्तार की वजह से हादसों की आशंका अधिक रहती है.

भीड़भाड़ वाले इलाके में शिथिल किया जाए

याचिका में अपील की गई है कि शहर के मध्यवर्ती और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में इसे शिथिल किया जाए. अब निगाहें अदालत की अगली कार्यवाही पर हैं, जो यह तय करेगी कि सार्वजनिक सुरक्षा बनाम नागरिक अधिकारों की इस टकराहट में संतुलन किस तरह बैठाया जाए.

अधिकारियों की विफलता जनता के माथे ...!

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर . शहर में लगातार यातायात जाम होने से प्रशासन और अधिकारियों को जनता जमकर कोस रही है. शहर में यातायात की ऐसी बदतर हालत पहले कभी नहीं देखी गई. आज स्थिति यह है कि शहर के किसी ना किसी सड़क पर अथवा मुख्य मार्गों पर यातायात जाम हो रहा है. मीडिया द्वारा लगातार ट्रैफिक जाम के फोटो और खबरे छापने के बाद अधिकारियों ने थोड़ी सुध ली. बैठक में मातहत छोटे अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कारवाई. रिपोर्ट में सामने आया कि कई जगह निर्माण कार्यों के कारण जाम लग जाता है.

अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आईडीए द्वारा खजराना, भंवरकुआं, लवकुश और फूटी कोठी फ्लाई ओवर बनाए गए, लेकिन इस दौरान त्रासदी वाला यातायात जाम नहीं हुआ. इसका कारण साफ था कि आईडीए के अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी ने माकूल इंतजाम किए थे. इसके उलट एनएचएआई, एमपीआईडीसी, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा यातायात जाम रोकने की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया. उक्त चारों एजेंसियों ने बारिश पूर्व और बारिश के दौरान व्यवस्थित ट्रैफिक चलाने के माकूल इंतजाम नहीं किए. शहर की जनता और वाहन चालक अब रोज जाम झेलने को मजबूर है. यातायात जाम की निरंतर खबरें छापने के बाद प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी का निर्देश हाथ लग गया. बस फिर क्या था, अपने गले का सांप निकालकर जनता के सिर हेलमेट के रूप में रख दिया, वो भी आनन फानन में! प्रशासन की हिटलर शाही देखो कि जब शहर में ट्रैफिक रेंगता है, तो हेलमेट का बोझ डालकर क्या ट्रैफिक गतिमान बन जाएगा? इसका जवाब है, नहीं... कभी नहीं.

मेन पॉवर लगाना होगा

दुर्घटना रोकने और यातायात जाम होने के उपाय जनता को हेलमेट पहनाना नहीं, बल्कि सड़कों खासकर प्रमुख सड़कों और मार्गो पर यातायात संचालन के लिए पुलिस, प्रशासन, निगम अधिकारी और निर्माणकर्ता कंपनियों को मेन पॉवर लगाना पड़ेगा. शहर में सभी मुख्य सड़कों पर धार्मिक जुलूसों को प्रतिबंधित करना होगा. ई रिक्शा चालकों पर नकेल कसना होगी और उनके भी चालान बनाने होंगे. सबसे ज्यादा ई रिक्शा के मार्ग निर्धारित करना होंगे और शहर में तो पूर्णत: प्रतिबंध लगाना होगा.

ई रिक्शा भी लगा रहा जाम

देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों में ई रिक्शा ने शहर के ट्रैफिक जाम में चार चांद लगाने का काम किया है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी ई रिक्शा के मार्ग निर्धारित करने की बात कही थी, लेकिन वो भी आई गई हो गई. ट्रैफिक मित्र बनाए पर पीक टाइम सुबह 10 से 1 और शाम 4.30 से रात 9 बजे के समय ट्रैफिक पुलिस, मित्र और तमाम वेलेंटियर गायब रहते है. जब पीक टाइम में यातायात नहीं संभाल सकते है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपनी असफलता और विफलता जनता के माथे क्यों डालना .....?

सात दिन में निजी व अपात्र वाहनों से हटें हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट

- हाई कोर्ट का सख्त आदेश, नंबर प्लेट भी दुरुस्त करें
- प्रमुख सचिव से लेकर आरटीओ तक से मांगा जवाब

नव भारत न्यूज

इंदौर. हाई कोर्ट ने शहर और प्रदेशभर में निजी व अपात्र वाहनों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट और गलत नंबर प्लेट पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने सभी ऐसे वाहन मालिकों को 7 दिन के भीतर इन्हें हटाने और नंबर प्लेट सही करने का आदेश दिया है.

पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अदिति मनीष यादव ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि मार्च 2025 में राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों और आरटीओ को ऐसे अवैध हूटर-सायरन वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को कई तस्वीरें दिखाईं, जिनमें निजी और अपात्र वाहनों पर हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट लगी हुई थीं. इन वाहनों के जरिए न केवल ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न की जाती है बल्कि नो पार्किंग क्षेत्रों में भी दबाव बनाकर पार्किंग की जाती है.

कोर्ट का अंतरिम आदेश

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए अंतरिम आदेश पारित किया. जिसमें कहा गया कि 7 दिन में सभी निजी व अपात्र वाहन मालिक हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट हटाएं. गलत या अवैध नंबर प्लेट को सही करें. आदेश का पालन न होने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी जवाबदेह होंगे. कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आरटीओ इंदौर से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

विक्रम उद्योगपुरी एक्सटेंशन फिर लेगा आकार, रोजगार का सपना साकार

- 87 लाख 82 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जमीन होगी अधिग्रहित

उज्जैन. आखिरकार विक्रम उद्योग पुरी के दूसरे चरण का भी रास्ता साफ हो गया है, किसानों से जमीन अधिग्रहित किए जाने के निर्णय पर मोहर लगा दी गई है और 87 लाख 82500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जमीन किसानों से ली जाएगी.

धार्मिक नगरी को विकास के पंख लगा चुके हैं, यहां उद्योगपुरी के तौर पर जो 56 कंपनियां आई है, उनमें से एक दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां खुल चुकी है जिनमें हजारों बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, अब विक्रम उद्योग पुरी के दूसरे चरण में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है.

कैबिनेट की मंजूरी

नवभारत से चर्चा में एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि उज्जैन में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी के विस्तारीकरण के लिए 7 गांव की खेती की जमीन का भू - अधिग्रहण कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें मुआवजा राशि तय करके मोहर लगा दी गई.

किसान बोले ऊंट के मुंह में जीरा

इधर किसानों का कहना है कि 4 जून से 9 जून 2025 तक 6 दिनों तक जो धरना प्रदर्शन किया था. तब कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि धरना खत्म कीजिए आपका प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी को भेजा गया है, जहां से आपको अच्छा खासा मुआवजा राशि प्राप्त होगी. इधर, नरवर गांव सहित अन्य क्षेत्र के किसानों ने बताया कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. साथ गांव के किसानों का कहना कुछ और है, जिसमें जो मांग रखी गई थी वह कुछ और थी ऐसे में 60 लाख से 80 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन के बदले राशि दी जाना चाहिए वरना यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी.

87 लाख 82500 की राशि तय

विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र के लिए भू अर्जन राशि की गणना के फार्मूले को मंजूरी दे दी गई है. राजमार्ग के समीप मौजूद नरवर गांव की जमीन 87 लाख 82500 प्रति हेक्टर के मान से अधिकृत की जाएगी. कुल 7 गांव की जमीन पर फैक्ट्रियां खोली जाएगी, किस किसान की कितनी जमीन जा रही है उसे आधार पर मुआवजा दिया जाएगा.

सरपंच सचिव को दी समझाने की जिम्मेदारी

किसानों को समझाने की जिम्मेदारी भी सरपंच सचिव और 7 गांव के अन्य अधिकारियों को दी गई है, प्रचलित बाजार मूल्य एवं वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 1.15 करोड रुपए प्रति हेक्टर है. ऐसे में किसानों को भरोसे में लिया जाएगा.

प्रदेश बना तबादला घोटाले की फैक्ट्री : पटवारी

सरकार पर बोला हमला, हर दिन 20 बहन-बेटियों के साथ हो रहे हैं दुष्कर्म

भोपाल,31 जुलाई. विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध और प्रशासनिक तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री सहगृह मंत्री को घेरा है. पटवारी ने कहा, गृह मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं. अपराध के आंकड़े चीख-चीखकर सरकार की नाकामी उजागर कर रहे हैं.

पटवारी ने दावा किया कि 1 जनवरी 2024 से 20 जून 2025 तक 10,840 रेप के मामले दर्ज हुए. हर दिन औसतन 20-21 रेप,

> पटवारी ने कहा, गृह मंत्री की विफलता अब छिपी नहीं है. प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित हैं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है. जब तक ऐसे मंत्री कुर्सी पर हैं, कानून-व्यवस्था नहीं सुधर सकती. विधानसभा सत्र के दौरान सरकार घिरी हुई है.

दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ. एससी, एसटी वर्ग की महिलाएं विशेष रूप से पीड़ित हैं और कई मामलों में भाजपा से जुड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं.

भोपाल में ड्रग फैक्ट्री और नशे के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन आरोपी नेताओं के साथ खड़े दिखे. सरकार ड्रग्स कारोबार को शह दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार में शराब का कारोबार डेढ़ गुना बढ़ा है. पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने तबादला घोटाले की फैक्ट्री शुरू कर दी है. 377 आईएएस में से 335 कार्यरत हैं, इनमें से 200 अफसरों के बार-बार तबादले हो रहे हैं. आईपीएस की स्थिति भी ऐसी ही है. विभाग बदलने की यह स्पीड बताती है कि सरकार ईमानदार अफसरों को नहीं, पैसे और राजनीतिक पहुंच वालों को तरजीह दे रही है. हर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया सक्रिय हैं. 'पैसा दो और पोस्टिंग लो' की व्यवस्था बन चुकी है. इससे ईमानदार अफसर किनारे कर दिए गए हैं. उन्होंने तबादला घोटाले पर श्वेतपत्र जारी करने और सीबीआई जांच की मांग की.

मूंग खरीदी में भारी अव्यवस्था

मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों की बढ़ती परेशानियों पर सियासी संग्राम तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह शिवराज सिंह के घर के सामने अनशन करेंगे. प्रदेश के प्रमुख मूंग उत्पादक जिले नर्मदापुरम में खरीदी प्रक्रिया में रोज नई अड़चनें सामने आ रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं. जीतू पटवारी ने कहा, प्रदेश में मूंग खरीदी की स्थिति बेहद खराब है. गेहूं के दाम को लेकर वादे किए थे, वे भी अधूरे हैं.

> **कृषि मंत्री को चेतावनी, उनके घर के सामने देंगे धरना**
> कांग्रेस नेता ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, कृषि मंत्री होकर वे किसानों की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं. हमने कई बार उनसे समय मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. अगर उन्होंने जल्द कदम नहीं उठाए तो मैं उनके घर के सामने जाकर अनशन पर बैठूंगा.

धर्म के आधार पर नहीं होता आतंकवाद : दिग्विजय

साध्वी मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी, सियासत गरमायी

भोपाल, 31 जुलाई. मालेगांव बम विस्फोट मामले में बरी हुईं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एक बार फिर हिंदू आतंकवाद की बहस गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता.

उन्होंने कहा, न हिंदू आतंकवाद होता है, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई, वे आतंकवादी होते हैं. हर धर्म प्रेम, शांति और सद्भाव की शिक्षा देता है. कुछ लोग ही धर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं, वहीं असली आतंकवादी हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द गढ़ा ही नहीं, यह आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.

गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद हिंदू आतंकवाद की बहस ने राजनीतिक रंग ले लिया था. भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने ही यह शब्दावली तैयार की और हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया. लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस मुद्दे को उछालते हुए साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया.

भोपाल से उम्मीदवार बनाया और दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त दी. साध्वी प्रज्ञा ने उन्हें तीन लाख से अधिक वोटों से हराया था.

वरूण कपूर होंगे नये डीजी जेल

- तीन आईपीएस के तबादले

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 31 जुलाई. भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1991 बैच के अधिकारी वरूण कपूर महानिदेशक जेल होंगे. कपूर अब तक स्पेशल पुलिस महानिदेशक आरएपीटीसी इंदौर के पद पर पदस्थ थे. गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी है. आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के तीन अफसरों के दायित्व में बदलाव किया गया है.

आदेश के तहत मो. शाहिद अबसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को एडीजी चयन भर्ती पुलिस मुख्यालय भोपाल के साथ ही एडीजी पीटीआरआई तथा संचालक मप्र पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वहीं मो. यूसुफ कुरैशी उप पुलिस महानिरीक्षक सायबर सेल पीएचक्यू भोपाल को डीआईजी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल पदस्थ किया गया है. चंद्रशेखर सोलंकी पुलिस महानिरीक्षक विसबल इंदौर को मौजूदा दायित्वों के साथ पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी इंदौर के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इधर मौजूदा डीजी जेल जीपी सिंह गुरुवार को रिटायर हो गये. उनके रिटायरमेंट से डीजी जेल का पद रिक्त हो रहा था, लिहाजा राज्य सरकार ने नई नियुक्ति कर दी.

यूका मामला : कमेटी के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट

- हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 14 अगस्त को

जबलपुर, 31 जुलाई. यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे विनिष्ठीकरण मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई. जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष पूर्व निर्देश के पालन में गुरुवार को यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट के मामले में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हाजिर हुये.

जिनसे युगलपीठ ने सवाल-जवाब किए, लेकिन सदस्यों द्वारा

दिये गये जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ. जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त निर्धारित करते हुए कहा है कि उस दिन सभी एक्सपर्ट सदस्य कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक सहित हाजिर हों.

जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व खालिद नूर फखरुद्दीन ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया विगत सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी. जिसमें अवगत कराया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनिस्टिकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर में कर दिया गया है. केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में जहरीले कचरे का विनिष्टिकरण किया गया है. जहरीले कचरे से 850 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. एमपी-पीसीबी से सीटीओ मिलने के बाद अलग लैंडफिल सेल में उसे नष्ट किया जाएगा.

> हाईकोर्ट ने इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद मूल मामले के साथ सुनवाई किये जाने की व्यवस्था दी थी. जिस पर गुरुवार को सभी मामलों की संयुक्त रूप से सुनवाई हुई. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा नष्ट करने के दौरान हेवी मेटल व मर्करी को लेकर सवाल किया, साथ ही यह भी पूछा था कि जब मामला इतना जटिल था, तो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए ऐसी साइट क्यों चुनी गई?, जिसके आसपास काफी संख्या में नागरिक निवास करते हैं.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(महारत्न कंपनी)
ग्वालियर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, 611-614,
केशर टावर्स, ग्वालियर - 474005

मध्य प्रदेश में भूमि की आवश्यकता
नोट: यह विज्ञापन रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए नहीं है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए पट्टे पर (न्यूनतम 19 वर्ष 11 महीने) अथवा कॉर्पोरेशन को एकमुश्त बिक्री के माध्यम से भूखंड या भूमि के हस्तांतरण के लिए भूमि के एकमात्र स्वामी या सह-स्वामियों से दो बोली प्रणाली यानी ए) तकनीकी बोली बी) वित्तीय बोली पर मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

आवेदक के पास भूमि में रूचि रखने वाले अन्य सह-स्वामियों या पार्टियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। संयुक्त बोलीदाताओं के मामले में बोली लगाने वालों में से कोई एक अन्य के लिए मुख्तारनामा धारण करने के माध्यम से बोली लगा सकता है। जिन पार्टियों ने इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से पहले भूमि के कब्जे वाले मालिकों के साथ बिक्री के लिए पंजीकृत समझौता किया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन हमारी वेबसाइट: www.hindustanpetroleum.com पर उपलब्ध है।

सबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 30/09/2025 को 15:00 बजे तक है। तकनीकी बोली दिनांक 30/09/2025 को 1600 बजे सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में खोली जाएगी। इच्छुक बोली दाता तकनीकी बोली खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

/hpcl | /hpcl | /hpcl
www.hindustanpetroleum.com

LiFE Lifestyle for Environment

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60